29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1137–एक/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–2008 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी,भाण्डेर जिला दतिया – प्रकरण कमांक 75/2007–08 अपील

1– राजेन्द्र सिंह 2– देवेन्द्र सिंह
दोनों पुत्रगण गयाप्रसाद किरार
ग्राम दलपतपुरा तहसील भाण्डेर
जिला दतिया मध्य प्रदेश
---आवेदकगण

विरूद्ध

1– अंकित 2– संतोषी पुत्रगण लाखनसिंह
3– कु.अतीना 4– कु. प्रियंगा नावालिक
दोनों पुत्रियॉ लाखन सिंह किरार सरपरस्त
व वादमित्र लाखन सिंह किरार
5– लाखन सिंह पुत्र नारायणदास किरार
सभी ग्राम पड़रीकलॉ दलपुरा तहसील भांडेर
जिला दतिया मध्य प्रदेश
--अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बी0एस0धाकड़)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 3–1 – 2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर व्दारा प्रकरण कमांक 75/2007–08 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–9–2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,

1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 109.110 के अंतर्गत बसीयत के आधार पर महिला अॅगूरी पुत्री बलराम पत्नि लाखन सिंह किरार की मृत्यु उपरांत उसके व्दारा धारित भूमि पर नामांतरण करने की मांग रखी। तहसीलदार भाण्डेर ने प्रकरण कमांक 18 अ-6/2007-08 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 31-5-2008 पारित करके आवेदकगण का नाम महिला अॅगूरी व्दारा छोड़ी गई भूमि पर दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भाण्डेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ हितबद्ध पक्षकार माने जाने एंव अपील प्रस्तुत करने की अनुमति की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 75/2007-08 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10-9-2008 से अनावेदकगण को हितबद्ध पक्षकार होना माना तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण करना चाहे, उन्होंने सात दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करना बताया। अनावेदकगण के अभिभाषक ने उभय पक्ष के बीच व्यवहार न्यायालय से निराकृत हुये प्रकरणों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण का निराकरण करने की मांग की।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर तथा अनावेदक के अभिभाषक व्दारा मान0 प्रथम सिविल जज वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त सिविल जर्ज भाण्डेर के प्रकरण क्रमांक 11ए/2008 में पारित आदेश दिनांक 23-1-09 तथा मान. प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दतिया के अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया व्दारा अपील क्रमांक 07 ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 3-7-2009 की पेश की गई प्रमाणित प्रतिलिपियों की छायाप्रतियों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उभय पक्ष के बीच माननीय व्यवहार न्यायालय में तथा व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय से वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में निर्णय हो चुके है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ हो गई है। पक्षकार माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी व्यर्थ हो जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर